(श्यामसुन्दर मेमोरियल लॉ कालेज, चंदौसी, के उद्धाटन समारोह मे
मुख्य अतिथी मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्थल जी का सम्बोधन)

कर्तव्य और अधिकार

महर्षि बालमिकी दृारा स्थापित चाँद सी नगरी "चंदौसी" में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं श्री संजय जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी समिति के माध्यम से इस नगर में श्याम सुन्दर मेमोरियल लॉ कालेज की स्थापना का संकल्प लिया और आज उसे मूर्त रूप दे रहे हैं।

धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र समवेता युयुत्सवः।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।

गीता के इस प्रथम श्लोक में ही संजय शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में संजय वह व्यक्ति है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और जो महाराजा धृतराष्ट्र जी को हस्तिनापुर में बैठ के ही कुरूक्षेत्र का वर्णन सुनाता हैं।

ऐसी ही दूर दृष्टि लेकर संजय जी आदि ने इस ला कालेज की स्थापना की है जो भविष्य में इस शहर को एक नयी पहचान देगा।

चंदौसी कुछ वर्ष तक जनपद मुरादाबाद का भाग हुआ करता था। मैं समझता हूँ 2017 में सम्भल जनपद बनने पर वहाँ की जनपद न्यायालय की स्थापना चंदौसी में की गई है। अतः आज के दिन जनपद न्यायालय के होते हुए यहाँ ला कालेज होना अपने आप में अतिआवश्यक व समीचीन हो गया था।

अधिवक्तागण न्यायपालिका की एक अत्यन्त मजबूत कड़ी हैं जिसके सहारे पूरी की पूरी न्यायपालिका टिकी रहती हैं लॉ का व्यवसाय हमेशा से एक "Noble profession" माना गया है। यह नोबेल इसलिए नही है कि इसमें अच्छे व बड़े घर या पढे लिखे लोग आते हैं परन्तु यह नोबेल इसलिए है कि इस कार्य में कोई भी अधिवक्ता अपने व्यक्गित हित के लिए कार्य न करके दूसरों के हित की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। वह पीड़ित के लिए अपनी आवाज उठाता है और उसे न्याय दिलाने का प्रयास करता है।

मैंने कभी भी विधि क्षेत्र में आने का कोई निश्चित मत नहीं बनाया था। बस पढ़ाई करता चला गया। लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद समस्या आई कि अब जीवन में क्या करना है। अतः मजबूरी में अधिवक्ता का पेशा अपनाना पड़ा और मैंने उच्च न्यायालय में वकालत प्रारम्भ कर दी।

एक बार मेरे पिता के अच्छे मित्र व एक वरिष्ठ न्यायमूर्ति ने मुझसे ऐसे ही बात–चीत के दौरान पूछ लिया कि मैंने विधि व्यवसाय को क्यों चुना। वास्तविकता तो यह थी कि मैंने इसे स्वेच्छा नहीं पर मजबूरी में ही अपनाया था पर स्पष्टीकरण देते

हुए मैंने बहुत से कारण उन्हें बता डाले कि यह बड़ा नोबल प्रोफेशन है, विरासत में मुझे मिला है इसमें अभिव्यक्ति व कार्य की स्वतंत्रता होती है इत्यादि–इत्यादि। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मुझे प्रोत्साहित करते हुए एक धीमी मुस्कान के साथ कहा कि इस व्यवसाय में दोनों ही हाथों में लड्डू होते हैं।

वकालत चले तो मोती लाल और न चले तो जवाहर लाल।

इसके बाद विधि व्यवसाय के प्रति कोई शंका नहीं रही और मुझे लगा कि वास्तव में विधि का व्यवसाय अपने आप में अनूठा है। मेरे मन से मजबूरी में इस व्यवसाय को चुनने की कुंठा हमेशा–हमेशा के लिए दूर हो गयी।

वकालत के पेशे में एक और अच्छी बात है आप कोई भी मुकदमा हारे या जीते इसमें फायदा वकील का ही होता है।

रहिमन इस संसार में सबसे सुखी वकील
जीत गए तो शुकाना हार गये तो अपील

मैं तो इसलिए अपने अनुभव के आधार पर वकालत को सबसे अच्छा व्यवसाय मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह लॉ कालेज भविष्य में एक से एक अच्छा वकील हमें देगा।

विधि क्षेत्र की पढाई मूलतः नैतिकता व धर्म आधारित होती है। विधि के सिद्धांत कुछ अलग न होकर मोटेतौर पर ले देकर कुछ वह ही सिद्धांत है जो हमारे वेदों में व्यक्त किये गये हैं।

वेद का अर्थ ही ज्ञान है। वेदों को धर्म, ज्ञान और विज्ञान व आर्य संस्कृति का मुख्य श्रोत माना गया है। इसलिए वेद सर्वज्ञानमयो हैं।

वैदिक साहित्य केवल भारत का ही नही अपितु सारे संसार का सर्वप्राचीन साहित्य है। इस साहित्य की रचना हमारे ऋषियों ने प्रकृति के खुले प्रांगड़ में अदृश्य शक्तियों का अनुभव करते हुए जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य व चन्द्रमा आदि प्राकृतिक वस्तुओं को देवता स्वरूप मानते हुए की है। इसलिए कहा जा सकता है कि वेदों में जो ज्ञान की बातें परिलिक्षित होती हैं व प्रकृति के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं।

Ved defines law of nature.

वेदों में धर्मशास्त्र की बात कही गयी है। धर्म विधि अथवा कर्तव्य से कहीं बड़ा है। एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहूँगा कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो हताहत व्यक्ति या उसके परिवार जन मुआवजे की मांग न्यायालय में कर सकते हैं यह विद्यि का नियम है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय से उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाना यह हमारा नैतिक दायित्व हो जाता है। जब हमारा नैतिक दायित्व विद्यिक अधिकार के साथ जुड़ता है तो वह धर्म का स्वरूप ले लेता है।

Law + morality + good conduct, in short is Dharm.

हमारे धर्म, विधि व न्याय के अधिकांश सिद्धांत हमें हमारे वैदिक साहित्य से प्राप्त होते हैं।

नैतिकता के धार्मिक सिद्धांत जो वेदों से हमें प्राप्त होते हैं उनमें मुख्यतः

(1) आहिंसा परमोधर्म

(2) सत्यमेव जयते

इन नैतिक सिद्धांतों से आगे बढकर अगर हम वेदों में उपलब्ध न्यायिक सिद्धांतों पर नजर डालें तो सर्वप्रथम

Even Kings are subordinate to Dharm, the Rule of law

Law is the King of Kings, nothing is superior to law.

जैसे सिद्धांत हमारे सामने आते हैं।

अंत्तोगत्वा हम पाएंगे कि हमारी आज की न्यायिक प्रणाली भी कहीं न कहीं वैदिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।

वेदोऽखिलो धर्ममूलम।

अतः विधि ज्ञान के लिए नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान महत्वपूर्ण है जो हमें अपने धार्मिक ग्रन्थों अथवा वेदों से उपलब्ध होता है।

विधि की शिक्षा हमें साक्षरता से आगे विधि साक्षरता की ओर ले जाती है जो आज के सामाजिक युग में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

हम अधिकांशतः विधि से सम्बन्धित लोग अपने अधिकारों की बात किया करते हैं। विशेषकर के अपने मौलिक अधिकारों की। परन्तु साथ में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जो संविधान के अनुच्छेद 51-A में दिये गये हैं। हम इन कर्तव्यों के मूल में जाते हैं।

अतः हम केवल अधिकारों की बात करते हैं। अगर हिन्दू माइथोलाजी से जोड़कर इसे देखें तो हम पायेंगे कि हिन्दू धर्म में पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतरित हुए और उन्होंने मर्यादा पुरषोत्तम अर्थात कर्तव्य पालन करने की नीति स्थापित की। इसके पश्चात द्वापर में श्री कृष्ण आये और उन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए अगर कोई अनादर हो रहा है तो अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कर्तव्य पालन के पश्चात ही हमारे अधिकार आते हैं।

अतः अपने अधिकारों की मांग रखने से पूर्व हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं। इस कर्तव्य

पालन व अधिकार की लड़ाई में भी यह आवश्यक हो जाता है कि आप हमारे हर विधार्थी के एक हाथ में "गीता", वेद और पुराण और दूसरे में भारत का संविधान हो और वह इन दोनों में तालमेल मिलाते हुए भारतीय सभ्यता व संस्कृति व उसके परिवेश के अनुसार अपने संविधान को उचित रूप में आगे बढायें।

शिक्षा वह है जो भविष्य बनाये। शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण करे। शिक्षा वह है जो देश भक्ति जन सेवा व परोपकार करना सिखाये। शिक्षा वह है जो व्यक्ति में इन्सानियत जगाए। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को बेहतर बनाये। शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण संभव है।

मैं समझता हूँ कि श्याम सुन्दर मेमोरियल लॉ कालेज जो आज जनता के लिए इस शहर में खोला गया है वह इन पहलूओं को देखते हुए ही अपनी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करेगा और यहाँ से निकला हर एक विधार्थी पश्चिमी सभ्यता को नकारते हुए भारतीय सभ्यता और परंपराओं के अनुसार ही संविधान की व्याख्या करते हुए न्यायिक परंपरा को आगे बढाने में पूरा योगदान देगा है।

इस लॉ कालेज की स्थापना से जुड़ा हर व्यक्ति साधूवाद का पात्र हैं। मैं इसकी सफलता के लिए अपनी कोटि–कोटि शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यहाँ के विधार्थी भारतीय विधि गगन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना कालेज का परचम देश भर में लहरायेंगे।

सभी को सुभाशीष जय हिन्द

25 / 08 / 2019